



2026:AHC:16090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44051 / 2025

रजनीश कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राम चन्द्र कुशवाहा,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम चन्द्र कुशवाहा तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से श्री शशांक सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 278 सन् 2025, धारा 3/5-ए/8, 5 गोवध निवारण अधिनियम, 1955 तथा धारा 109, 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सैयदराजा, जनपद चंदौली में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद अपराध में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 21.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त मोहम्मद रफी को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 12.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 44133 सन् 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध तीन अन्य आपराधिक मामले हैं, जिनका विवरण एवं स्पष्टीकरण अनुपूरक हलफनामे में दिया गया है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक के न्याय से फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दण्ड की गंभीरता, समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के प्रभावित होने की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक **रजनीश कुमार** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी प्रकार से दबाव/धमकी नहीं देगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से छूट न प्रदान की जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)